सत्यमेव जयते

अनुसूचित विमान सेवा के संबंध में
भारत सरकार
तथा
स्लोवेनिया रिपब्लिक सरकार
के बीच करार

भारत सरकार तथा स्लोवेनिया रिपब्लिक सरकार को एतद्द्वारा "संविदाकारी पक्ष" के रूप में संबोधित किया जाएगा;

शिकागो में दिनांक 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्ष होने के नाते;

दोनों अपने-अपने राज्य क्षेत्रों के बीच विमान परिहवन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छुक और विमान सेवाओं के प्रचालन हेतु आवश्यक आधार स्थापित करने के इच्छुक होने के फलस्वरूप;

निम्नानुसार सहमति हुई है:-

अनुच्छेद-1
परिभाषा

1. वर्तमान करार के प्रयोजन के लिए:

(क) "अभिसमय" पद का अभिप्राय 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हुए हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है और इसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा

सत्यमेव जयते

तत्संबंधी अनुच्छेद 90 तथा 94 के अंतर्गत अनुबंधों अथवा अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल है, जहां तक वे अनुबंध तथा संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए लागू हो;

(ख) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का अभिप्राय, भारत गणतंत्र के मामले में महानिदेशक, नागर विमानन तथा स्लोवेनिया रिपब्लिक के मामले में परिवहन एवं संचार मंत्रालय अथवा, दोनों मामलों में, कोई व्यक्ति अथवा निकाय जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ग) "नामित विमानकंपनी" पद का अभिप्राय ऐसी विमानकंपनी से है जिसे सहमत विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए वर्तमान करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया है;

(घ) "टैरिफ" पद का अभिप्राय यात्रियों, सामान तथा कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और उन शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये कीमतें लागू होती हैं। उक्त कीमतों में एजेंसी अथवा परिवहन दसतावेजों की बिक्री के लिए कमीशन शुल्क तथा दूसरे अतिरिक्त पारिश्रमिक शामिल हैं परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं है;

(ङ) किसी देश के संबंध में "राज्यक्षेत्र" पद का अभिप्राय वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;

(च) "विमान सेवा", "अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा", "विमानकंपनी" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए "स्टाप- पदों का अभिप्राय वही होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में क्रमश: उनके लिए निर्धारित किया गया है।

सत्यमेव जयते

2. अनुबंध वर्तमान करार का एक अभिन्न अंग है। करार के सभी संदर्भों में अनुबंध शामिल होगा जब तक स्पष्ट रूप से की गई सहमति अन्यथा न हो।

अनुच्छेद-2
अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष एक दूसरे संविदाकारी पक्ष को अनुबंध में दी गई अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट मार्गों पर विमान सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजन से वर्तमान करार में विनिर्दिष्ट अधिकारों की मंजूरी देता है। एतद्पश्चात्, ऐसी सेवाओं और मार्गों को क्रमश: "सहमत सेवाए"- और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है।

2. वर्तमान करार के उपबंधों के अध्ययधीन, प्रत्येक संविदकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करते समय निम्नलिखित अधिकार होंगे:-

(क) बिना अवतरण दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के पार उड़ान भरने का अधिकार;

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए स्टाप बनाने का अधिकार;

(ग) नामित की गई विमानकंपनी के संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अवतरण-स्थलों से दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में वर्तमान करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट यात्रियों, सामान, कार्गो तथा डाक को

अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप से चढ़ाने और उतारने का अधिकार;

(घ) वर्तमान करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अवतरण-स्थलों से तीसरे देशों के राज्यक्षेत्र में वर्तमान करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट अवतरण-स्थलों पर आ रहे अथवा वहां के लिए पहले से निर्दिष्ट यात्रियों, सामान, कार्गो तथा डाक को

अलग-अलग अथवा सम्मिलित रूप से चढ़ाने और उतराने का अधिकार ।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के पैरा 3 तथा 4 के उपबंधों के अध्यधीन, इस करार के अंतर्गत नामित उन विमानकंपनियों से भिन्न, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विमानकंपनी (कंपनियों) को भी इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उप-पैरा (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में स्थित अन्य स्थल के लिए पारिश्रमिक अथवा किराए पर वाहित यात्रियों, सामान तथा डाक सहित कार्गो को विमान में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-3
विमान कंपनियों को नामित करना तथा उनको प्रचालन के लिए प्राधिकृत करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष के अनुसार निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजनार्थ अधिक से अधिक दो विमान

सत्यमेव जयते

कंपनियां नामित करने तथा ऐसे नामन वापस लेने अथवा बदलने का अधिकार होगा। दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच एक लिखित अधिसूचना के आधार पर प्रभावी होंगे।

2. वैमानिकी प्राधिकारी जिन्हें नामन संबंधी अधिसूचना प्राप्त हुई हैं वह अधिसूचना इस अनुच्छेद के पैरा (3) तथा (4) के उपबंधों के अध्यधीन होने पर दूसरे संविदाकारी की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को बिना विलम्ब किए आवश्यक प्रचालन प्राधिकार के लिए स्वीकृत करनी होगी।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकंपनी से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि उन्हें आश्वस्त करे कि वह उन नियमों और विनियमों के अधीन विहित उन शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो उक्त प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के संबंध में लागू की जाती हैं।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैरा 2 में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार को मंजूर करने से मना करने, अथवा वर्तमान करार के अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा, जिसे वह आवश्यक समझे, जब कभी उक्त संविदकारी पक्ष इस बारे में आश्वस्त नहीं हो कि उस विमान कंपनी का "वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है। इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" पद का अभिप्राय यह है कि यदि नामित विमान कंपनी किसी भी अन्य देश अथवा सरकार अथवा किसी अन्य देश के राष्ट्रिकों की विमानंपनी के साथ कोई करार (वित्तीय लीज करार को छोड़कर) करके सहमत सेवाएं प्रचालित करती है तो विमान कंपनियों को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों के पास उक्त नामित विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण होना तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिक नामित विमानकंपनी की

परिसम्पत्तियों के एक बड़े भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त निम्नलिखित नियंत्रण भी प्राप्त नहीं कर लेंगे:-

(i) नामित विमान कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण; और

(ii) नामित विमान कंपनी के विमान-बेड़े और उपस्कर के बड़े भाग का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण।

5. इस अनुच्छेद के पैरा (2) के अंतर्गत प्राधिकार प्रदत्त प्रचालन प्राप्त करने पर, नामित विमान कंपनी किसी भी समय सहमत सेवाएं प्रचालित करना शुरू कर सकती है बशर्ते कि उक्त विमान कंपनी इस करार के उपबंधों का अनुपालन करती हो।

अनुच्छेद-4
प्रचालन प्राधिकारों को प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित किसी विमान कंपनी को वर्तमान करार के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग करने के लिए किसी प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने अथवा रोक देने, अथवा ऐसे अधिकारों के प्रयोग के संबंध में ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझता हो, यदि:-

(क) उक्त विमानकंपनी आवश्स्त नहीं कर सके कि वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष में अथवा इसके राष्ट्रिकों को निहित हैं, अथवा

(ख) उक्त विमानकंपनी उन अधिकारों को प्रदान करने वाले, संविदाकारी पक्ष के कानूनों अथवा विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, अथवा

(ग) उक्त विमान कंपनी वर्तमान करार के अंतर्गत विहित शर्तों के अनुसार सहमत सेवाएं प्रचालन करने में विफल रहती है।

2. जब तक कानूनों और विनियमों के और आगे अतिलंघन को रोकने के लिए इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित शर्तों को तत्काल प्रतिसंहृत करना, रोक देना अथवा लगाना अनिवार्य न हो, तब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा।

अनुच्छेद-5
अधिकारों का प्रयोग

1. नामित विमान कंपनियां दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच सहमत सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में न्यायोचित एवं सामान अवसरों का लाभ उठाएंगी।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी (कंपनियां) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के हितों को ध्यान में रखेंगी जिससे कि बाद की विमानकंपनी की सहमत सेवाएं अविधिवत् रूप से प्रभावित न हो।

3. सहमत सेवाओं का मुख्या उद्देश्य, दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की अनुमानित विमान परिवहन अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता मुहैया कराना होगा।

4 प्रत्येक नामित विमान कंपनियों का दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र तथा तीसरे देशों राज्यक्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय यातायात वहन करने संबंधी अधिकार का प्रयोग उस विमान परिवहन के सहज विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप किया जाएगा जिसके लिए दोनों संविदाकारी पक्ष हस्ताक्षर करते हैं, और वह उस शर्त के अध्यधीन होगा जो कि निम्न क्षमता के अनुकूल होगी:-

(क) उस संविदाकारी पक्ष जिसने विमानकंपनी नामित की है के राज्यक्षेत्र के लिए तथा वहां से यातायात मांग के बारे में;

(ख) उस क्षेत्रों जिनके जरिए सहमत सेवा गुजरती है, स्थानिक और क्षेत्रीय सेवाओं को लेखे में लिया जा रहा है उनकी यातायात मांग के बारे में;

(ग) सहमत सेवाओं की कम ख़र्चीले प्रचालन की आवश्यकताओं के लिए

5. पिछले पैराओं में प्रतिष्ठित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली आवृत्ति संबंधी सहमति दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के मध्य होगी । इस प्रयोजनार्थ प्रथमतः दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों की, यदि संभव हो, संयुक्त सिफ़ारिशी पत्र के लिए बैठक होगी ।

6. प्रदत्त की जाने वाली क्षमता में किसी वृद्धि का आधार प्राथमिक तौर पर दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात संबंधी बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप होगा और इसके लिए प्रथमतः दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों के बीच विचार-विनिमय होगा और ऐसा दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हुए करार के अनुसार होगा । ऐसे करार अथवा समझौता तक, पहले से प्रचालन क्षमता और आवृत्ति हकदारियां अभिभावी होंगी ।

7. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार नहीं होगा कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के प्रचालनों को एक पक्षीय रूप से बाधित करे, बशर्ते वे वर्तमान करार की शर्तों के अनुसार हो अथवा ऐसी एकरूप शर्तों जो अभिसमय द्वारा अपेक्षित हो सकती हो के अनुरूप हो।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद- 6
सीमा शुल्क और कार्यविधि

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रचालित विमान और ऐसे विमान में पहले से रखे, बीच में लिए गए अथवा चढ़ाए गए उसके नियमित उपस्कर, ईंधन तथा स्नेहकों की पूर्तियों और विमान भंडार को और, जो सर्वथा ऐसे विमान के अथवा में प्रयोग के लिए आशायित हैं, सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों अथवा करों के संबंध में, अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, वही अभिक्रिया की जाएगी जो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रचालित करने वाली उसकी अपनी विमानकंपनी (कंपनियों) को अथवा अत्यधिक समर्थन प्राप्त राष्ट्र की विमानकंपनियों को प्रदान की जाने वाली अभिक्रिया से कम अनुकूल नहीं हो ।

2. इसी प्रकार का व्यवहार किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश के समय दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं पर विमान के अनुरक्षण अथवा मरम्मत के लिए प्रयोग किए जा रहे अतिरिक्त पुर्जों के लिए भी किया जाएगा ।

3. दोनों संविदाकारी पक्षों में से किसी को भी दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्कों अथवा इसी प्रकार के प्रभारों से छूट अथवा माफी नहीं दी जाएगी बशर्ते कि दूसरा संविदाकारी पक्ष भी पहले संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को ऐसे प्रभारों से छूट अथवा माफी नहीं दे देता ।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान में रखे गए नियमित वैमानिक उपस्कर और सामग्री और सप्लाई को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में केवल उस राज्य क्षेत्र के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति के बाद ही उतारा जा सकेगा ।

सत्यमेव जयते

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 और 4 में उल्लिखित सामग्री सीमा शुल्क प्राधिकारियों की देख-रेख अथवा नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित होगा ।

अनुच्छेद - 7
क़ानूनों और विनियमनों की प्रयोज्यता

1. एक संविदाकारी पक्ष के, अंतर्राष्ट्रीय हवाई दिक्चालन अथवा प्रचालन में रत विमानों के उसके राज्य क्षेत्र में प्रवेश और वहां से प्रस्थान को और उसके राज्य क्षेत्र के अंदर ऐसे विमान के दिक्चालन को शासित करने वाले क़ानून और विनियम दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमानों पर लागू होंगे।

2. एक संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में यात्रियों, कर्मीदल के सदस्यों, कार्गो और डाक के प्रवेश, मुकाम तथा वहां से प्रस्थान को शासित करने वाले क़ानून और विनियम जैसे सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य के साथ-साथ प्रवेश, प्रस्थान, उत्प्रवास के संबंध में औपचारिकताओं से संबंधित दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के विमानों में उक्त राज्य क्षेत्र के अंदर वाहित यात्रियों, कर्मीदल के सदस्यों, कार्गो और डाक पर लागू होंगे ।

3. कोई भी संविदाकाकरी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानंकपनी (कंपनियों) के मुकाबले अपनी स्वयं की विमानकंपनी को, इस अनुच्छेद में दिए गए कानूनों और विनियमनों के अनुप्रयोग के संबंध में कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं कर सकता है ।

4. दोनों में से किसी भी एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सीधे प्रवेश पाने वाले यात्री अत्यधिक सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं होंगे । सीधे प्रवेश वाला सामान और कार्गो, सीमाशुल्क और इसी प्रकार के अन्य करों से मुक्त होगा ।

अनुच्छेद - 8
प्रमाण-पत्रों और लाइसेंसों को मान्यता प्रदान किया जाना

1. एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी हवाई योग्यता प्रमाण-पत्रों, सक्षमता प्रमाण-पत्रों और लाइसेंसों या उन्हें वैद्यता प्रदान किए जाने की उनकी वैद्यता अवधि के दौरान दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा वैद्य होने के रूप में मान्यता दी जाएगी बशर्ते वे परिपाटी के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करते हों ।

2. तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास यह अधिकारी निहित है कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष या किसी अन्य राज्य द्वारा अपने स्वयं के राष्ट्रिकों को अपने राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ानों के उद्देश्य से प्रदान किए गए या वैद्य रूप में मान्यता प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाण-पत्रों और लाइसेंसों को वैद्य मानने से इंकार कर दे।

अनुच्छेद - 9
विमानन सुरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग़ैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस वर्तमान करार का अभिन्न अंग है । अंतर्राष्ट्रीय काननू के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के सामान्यीकरण को सीमाबद्ध करें, बिना प्रत्येक संविदाकारी पक्ष 14 सितंबर, 1963 को टोक्यों मे हस्ताक्षरित विमान में उड़ान के समय किए अपराधों और कुछ अन्य कार्रवाइयों, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण अभिसमय और 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई उन्मूलन अभिसमय और मांट्रियल में 24 फरवरी, 1988 को हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन सेवा प्रदान करने वाले विमानपत्तनों पर हिंसा

के गैर-कानूनी कार्यों के उन्मूलन के लिए इसके प्रतिपूरक प्रोटोकोल पर विशेष रूप से समरूप होकर कार्रवाई करेंगे ।

2. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाई अड्डों और कार्य दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध किसी प्रकार के गैर-कानूनी कृत्यों के बचाव के लिए नागर विमानन सुरक्षा को किसी भी प्रकार की धमकी के लिए आपस में एक-दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित विमानन सुरक्षा उपबंधों पर समरूप होकर अभिसमय के अनुबंध के रूप में उस सीमा तक कार्य करेंगे जिस सीमा तक संविदाकारी पक्षों पर ऐसे सुरक्षा उपबंध लागू होते हैं । वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग से है तथा उनके क्षेत्र में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

4. दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय यहां से प्रस्थान करते समय या रहते समय अपेक्षित ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान भंडार विमान में लगाने से पूर्व या उसके दौरान उसकी जांच करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष स्तर का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

सत्यमेव जयते

5. जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण की धमकी या इस प्रकार की धमकी की घटना होती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरुद्ध कोई और गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान करके और इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे ।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, यदि व्यवहार्य हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय करेगा कि जो विमान उसके राज्य क्षेत्र में उतरा है वह गैर-कानूनी अभिग्रहण या किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्यों के लिए दोषी पाया जाए तो जब तक मानव जीवन के लिए आवश्यक न हो तब तक उसका भूमि से प्रस्थान रोका रखा जाए । जब भी व्यवहार्य हो, तब आपसी परामर्श से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए ।

अनुच्छेद-10
प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) पर हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए उचित और उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार लगाने तथा इसकी अनुमति देने का अधिकार होगा । ये प्रयोक्ता प्रभार ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होंगे ।

2. एक संविदाकारी पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) पर लगाए गए ऐसे प्रयोक्ता प्रभार, अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं पर प्रचालित राष्ट्रीय विमान द्वारा अदा किए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार से अधिक नहीं हों।

सत्यमेव जयते

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने प्रभार वसूलने वाले सक्षम प्राधिकारियों और इन प्राधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं और सुविधाओं का प्रयोग करने वाली विमानकंपनियों के बीच प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में विचार-विमर्श को बढ़ावा देगा और जहां व्यवहार्य हो, ऐसा उन विमान कंपनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से किया जाएगा । प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन करने के किसी प्रस्ताव के लिए ऐसे प्रयोक्ताओं को यथोचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन किए जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

अनुच्छेद - 11
वाणिज्यिक कार्यकलाप

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी । इस प्रतिनिधित्व में वाणिज्यिक, प्रचालनात्मक तथा तकनीकी स्टॉफ शामिल होगा जिसमें स्थानांतरित या स्थानीय कार्यरत कार्मिक अथवा दूसरे संगठन, कंपनी या दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्य क्षेत्र में कार्यरत एयरलाइन की सेवाएं भी शामिल की जा सकती हैं तथा ये उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत हों ।

2. वाणिज्यिक कार्यकलापों पर पारस्परिकता का सिद्धांत लागू होगा । प्रतिनिधि और स्टॉफ अन्य संविदाकारी पक्ष के लागू कानूनों और विनियमों के अधीन रहेंगे तथा ऐसे कानूनों और विनियमों के अनुरूप ऐसा संविदाकार पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि अन्य संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) के प्रतिनिधि अपने सभी कार्यकलाप एक क्रमबद्ध तरीके से करे ।

3. विशेष तौर पर प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को अपने राज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और अपने विवेक पर अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से विमान परिवहन की बिक्री करने का अधिकारी प्रदान

सत्यमेव जयते

करता है । प्रत्येक नामित विमानकंपनी को ऐसे परिवहन की बिक्री का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवहन को उस राज्य क्षेत्र की मुद्रा अथवा लागू विदेशी मुद्रा विनिमयन के अनुसरण में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में खरीदने हेतु स्वतंत्र होगा ।

अनुच्छेद - 12
राजस्व का परिवर्तन तथा स्थानांतरण

1. प्रत्येक नामित विमानकंपनी को लागू विदेशी मुद्रा विनियमन के अनुसरण में यह अधिकार होगा कि यदि स्थानीय तौर पर मुद्रा का आवंटन अधिक हो गया है तो वह इसे अपने देश को परिवर्तित करके प्रेषित कर दें ।

2. मुद्रा अदायगी के लिए ऐसे स्थानांतरण आधिकारिक विनिमय दर के आधार पर प्रभावी होंगे या जहां कोई आधिकारिक विनिमय दर नहीं है वहां, उस स्थान पर प्रचलित विदेशी विनिमय बाज़ार दर के अनुसार मुद्रा की अदायगी की जाएगी।

3. यदि संविदाकारी पक्षों के बीच एक विशेष करार द्वारा अदायगी को विनियमित किया गया है तो वहां यह विशेष करार लागू होगा ।

अनुच्छेद - 13
टैरिफ

1. अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में आने-जाने के लिए किसी भी परिवहन के संबंध में प्रत्येक नामित विमानकंपनी द्वारा लागू टैरिफ के उचित स्तर निर्धारित किए जाएंगे, प्रचालन लागत, उचित लाभ, प्रत्येक सेवा की विशेषताएं तथा अन्य विमानकंपनियों द्वारा लिए जा रहे टैरिफ सहित सभी संगत तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है ।

सत्यमेव जयते

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में दिए गए टैरिफों का यदि संभव हो तो दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों द्वारा तथा समान मार्ग के पूरे या एक हिस्से पर प्रचालित अन्य एयरलाइनों के साथ परामर्श करके परस्पर समझौते द्वारा निर्धारण किया जाएगा । नामित एयरलाइन, यथासंभव, अंतरराष्ट्रीय निकाय जो इस संबंध में प्रस्ताव बनाता है के द्वारा निर्धारित, दर निर्धारण प्रक्रिया के द्वारा ऐसे समझ ौते करेगी।

3. इस प्रकार के स्वीकृत टैरिफों को, उनके आरंभ की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 60 दिन पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएग । विशेष परिस्थितियों में यह समय सीमा कम की जा सकती है, बशर्ते कथित प्राधिकारियों की सहमति हो । यदि टैरिफ को प्रस्तुत करने के बाद 30 दिन के अंदर कोई भी वैमानिक प्राधिकारी, दूसरे वैमानिकी प्राधिकारियों को अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं भेजता है तो ये टैरिफ स्वीकृत समझे जाएंगे ।

4. यदि नामित एयरलाइनें सहमत नहीं हो सकती हैं या यदि एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी टैरिफ को स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी पारस्परिक समझौते द्वारा टैरिफ का निर्धारण करने का प्रयास करेंगे । ऐसी बातचीत उस तारीख के 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी जब यह स्पष्ट हो

जाएगा कि नामित एयरलाइन एक टैरिफ पर सहमत नहीं हो सकती है या एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों ने दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को एक टैरिफ पर अपनी असहमति की सूचना भेजी हो ।

5. यदि वैमानिक प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसरण में एक समझौते पर नहीं पहुंचते तो यह विवाद, इस करार के अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसरण में निपटाया जाएगा ।

6. पहले से ही निर्धारित एक टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक एक नया टैरिफ इस अनुच्छेद या वर्तमान करार के अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित किया जाएगा परंतु यह उस दिनांक से, जब इसे स्वतः समाप्त हो जाना है, से बारह मास की अवधि से लंबा नहीं होना चाहिए ।

7. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने हर संभव प्रयास करे कि संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के साथ उठाए गए स्वीकृत टैरिफ को नामित विमानकंपनियां पुष्टि प्रदान कर दें ।

अनुच्छेद - 14
समय सारणी प्रस्तुति

1. स्वीकृत सेवाओं के प्रचालन के आरंभ से 60 दिन पहले नामित विमानकंपनी, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों की स्वीकृति के लिए परिकल्पित समय-सारणी प्रस्तुत करेगी । स्वीकृत सेवाओं के प्रचालन के संबंध में, जब और जहां मौका मिले कम से कम 30 दिन पहले इसी तरह की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी ।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी, अनुमोदित समय-सारणी के बाहर स्वीकृत सेवाओं पर जब अनुपूरक उड़ानें प्रचालित करना चाहे तो उसे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों से पहले से अनुमति पाने के लिए अनुरोध करना होगा । इस प्रकार का अनुरोध, ऐसी उड़ानें प्रचालित करने के कम से कम 14 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. नामित विमानकंपनियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए यदि कोई अन्य जानकारी चाहिए हो तो वह भी प्रस्तुत करनी होगी जिससे कि इस करार की अपेक्षाओं को भली प्रकार से पूरा किया जा सके।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 15

आँकड़ें उपलब्ध करवाना

प्रत्येक संविदाकरी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में आने-जाने वाली स्वीकृत सेवाओं पर प्रत्येक मास के दौरान ले जाए गए परिवहन से संबंधित आंकड़े या तो स्वयं उपलब्ध करवाएगा या अपनी नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को ये आंकड़े उपलब्ध करवाने को कहेगा, जिनमें ऐसे परिवहन के पोतारोहण एवं पोतावरोहण के मुद्दों को दर्शाया गया हो । ऐसे आंकड़े प्रत्येक महीने के अंत तक यथासंभव उपलब्ध करवा दिए जाएंगे परंतु जिस महीने से ये आंकड़े संबंध रखते हों, उस महीने के वार 60 दिन से ज्यादा ऊपर समय नहीं होना चाहिए ।

अनुच्छेद - 16

परामर्श

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय, वर्तमान करार के कार्यान्वयन, व्याख्या, लागू किया जाना या संशोधन पर परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे परामर्श जो वैमानिक प्राधिकारियों के बीच में होंगे और जो वार्ता या पत्राचार द्वारा किए जाएंगे, वे अन्य संविदाकारी पक्ष को प्राप्त लिखित अनुरोध की तारीख के 60 दिन की अवधि के भीतर आरंभ हो जाएगा, बशर्ते इस पर दोनों संविदाकारी पक्ष सहमत हों ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 17
विवादों का निपटारा

यदि इस करार की व्याख्या या इसे लागू करने से संबंधित कोई विवाद उठा तो संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी इसका आपस में ही बातचीत द्वारा इसे निपटाने का प्रयास करेंगें, यदि वे इसमें विफल रहे तो दोनों संविदाकारी पक्षों को निपटारे के लिए विवाद सौंप दिया जाएगा ।

अनुच्छेद - 18
सुधार करना

1. यदि दोनों में से कोई भी एक पक्षकार वर्तमान करार के किसी भी प्रावधान में संशोधन चाहता है और ऐसा संशोधन यदि दोनों संविदाकारी पक्षकारों को मंजूर हो यह उस तारीख से लागू होगा जब दोनों संविदाकारी पक्षों ने अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिए जाने के बारे में एक-दूसरे को सूचित किया होगा ।

2. वर्तमान करार के अनुबंध में किए गए संशोधनों पर दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष सहमति होगी और इसे उन दोनों के द्वारा निर्धारित तारीख को लागू किया जाएगा ।

3. हवाई परिवहन के संबंध में किसी भी सामान्य बहुपक्षीय अभिसमय निष्कर्ष की स्थिति में, जिससे दोनों संविदाकारी पक्ष बंधे हुए हों, वर्तमान करार में इस प्रकार से संशोधन किया जाएगा जोकि ऐसे अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप हों ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 19
समाप्त करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को वर्तमान करार को समाप्त करने के अपने फैसले के बारे में किसी भी समय लिखित रूप से सूचना भेज सकता है । ऐसी सूचना साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजी जाएगी ।

2. यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो यह करार, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त करने की तारीख के 12 महीनों बाद समाप्त हो जाएगा, बशर्ते करार समाप्त होने का नोटिस, इस अवधि की समाप्ति से पहले समझौते द्वारा वापिस नहीं ले लिया जाता है ।

3. दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा पावती न भेज सकने की स्थिति में यह नोटिस, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा प्राप्त सूचना की तारीख के 14 दिन के बाद प्राप्त हुआ माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 20
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अंतर्गत पंजीकरण

वर्तमान करार और उसमें होने वाले सभी संशोधनों को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 21
प्रवर्तन (लागू होना)

वर्तमान करार उसी तारीख से लागू होगा जब दोनों संविदाकारी पक्षकार एक-दूसरे को इस संबंध में अपनी संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में सूचित करेंगे ।

जिस तारीख को यह करार लागू होगा, यूगोस्लाविया सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक की समाजवादी संघ गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच हवाई परिवहन करार के प्रावधानों को भारत तथा स्लोवानिया गणतंत्र के बीच हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के संबंध में दिनांक 31.10.1989 से प्रभावी होना रोक दिया जाएगा ।

साक्ष्यों के सामने दोनों संविदाकारी पक्षों के प्रतिनिधियों (Plenipotentiaries) ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए ।

नई दिल्ली में ---------- इस 16 वें ---------- दिन को फरवरी, 2004 में हिन्दी, स्लोवानियन एवं अंग्रेजी भाषा की दो-दो मूल प्रतियां निष्पादित की गई, सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं। भाषान्तरण में कोई कमी होने पर, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत सरकार | **स्लोवानिया गणराज्य की सरकार**